# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –2702/2016.....जिला.....जयपुर

उनवान –मैसर्स दीपक बायोकोल प्रा0लि0,जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत द्वितीय जयपुर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | तारीख अहकाम जो इस हु तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18/04/2017 | **एकलपीठ**<br>**श्री खेमराज, अध्यक्ष**<br>यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2016, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत द्वितीय, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2015 को अपीलार्थी के वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे **"केन्द्रीय अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **" वैट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 के तहत् पारित करते हुए कर रू0 18,067/–तथा ब्याज रू0 16,080/– कुल रू0 34,147/– की मांग सृजित की गयी है, के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2016 पारित कर सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है। अपीलाधीन आदेश में विवादित राशि रू0 34,147/– में रू0 32,340/– को अपील निर्णय तक स्थगित रखने का निवेदन किया।<br>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विक्रम गोगरा ने बहस के दौरान तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 से तेल के अन्तर्प्रान्तीय विक्रय पर कर देयता 0.25 निर्धारित की गयी। दिनांक 21.02.2008 से उक्त अधिसूचना को संधोश्ति कर इसमें कुछ अन्य शर्तें शामिल की गयी। वा.क.अ. द्वारा दिनांक 17.02.2008 के विक्रय पर दिनांक 21.02.2008 से अधिसूचित कर दर अनुसार किया गया कर व तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया है जो उचित नहीं है। उनका निवेदन है कि विवादित राशि के संबंध में प्रकरण एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।<br>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानो के अनुसार कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है जो पूर्णतया उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने भी सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया है इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जावे।<br>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 14.02.2008 के पश्चात प्लांट एवं मशीनरी स्थापित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर रू0 18,067/– को जमा कराने की शर्त पर आरोपित ब्याज रू0 16,080/– की वसूली कार्यवाही को इस शर्त पर स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी आरोपित कर के संबंध | |

में सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत पेश करेंगे। उक्त आदेशों की पालना के अभाव में स्थगन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

उपरोक्तानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। मिसल वास्ते बहस दिनांक 30.06.2017 को एकलपीठ कैम्प जयपुर के समक्ष पेश हो।

( खेमराज )

अध्यक्ष